राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक : प.4(2)गृह–12/कारा/1999 पार्ट जयपुर,दिनांक 17 MAR 2015

:: आदेश ::

राज्य के कारागृहों में बंदियों को काम के बदले पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.09.2011 का अधिक्रमण करते हुए कारागृहों में बंदी श्रमिकों को निम्न प्रकार प्रतिदिन पारिश्रमिक भुगतान की दरें पुनरीक्षित की जाती है :–

क्र. सं.	बंदी श्रमिक श्रेणी	सकल न्यूनतम पारिश्रमिक राशि	कटौती–भोजन, कपड़ा, रख–रखाव आदि पर राज्य सरकार द्वारा व्यय राशि	बंदियों को भुगतान योग्य राशि
1.	कुशल बंदी श्रमिक	209 रूपये	59 रूपये	150 रूपये
2.	अकुशल बंदी श्रमिक	189 रूपये	59 रूपये	130 रूपये

राजस्थान कारागार नियम 1951 के भाग 12 के नियम 31(3) के प्रावधानांतर्गत उक्त अनुसार निर्धारित बंदियों को भुगतान योग्य पारिश्रमिक की 75 प्रतिशत राशि बंदी श्रमिक को दी जायेगी और शेष 25 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी जो पीड़ितों या उनके विधिक वारिसों को संदत्त की जायेगी।

उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त स्वीकृति आई.डी.संख्या 101500813 दिनांक 09.03.2015 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

17/3/15

(ए.मुखोपाध्याय)
अति. मुख्य सचिव,गृह

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान,जयपुर को पत्रांक उद्योग शाखा/73903–04 दिनांक 19.02.2015 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

(5)